

# महिलाओं एवं वृद्धजनों के अधिकारों में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका अध्ययन

डॉ ज्ञान चन्द्र मौर्या

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जे. बी. महाजन डिग्री कॉलेज, चौरी चौरा, गोरखपुर

## सारांश :

गैर-सरकारी संगठन महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, लैंगिक भेदभाव और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ये संगठन केवल जागरूकता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता (**Legal Aid**), मनोवैज्ञानिक परामर्श और सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। शोध यह रेखांकित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में NGOs ने 'स्वयं सहायता समूहों' के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिससे उनके सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है। वृद्धजनों की देखभाल और सुरक्षा वृद्धजनों के संदर्भ में, शोध पत्र स्पष्ट करता है कि जैसे-जैसे संयुक्त परिवार की व्यवस्था टूट रही है, बुजुर्गों के अधिकारों का हनन (जैसे उपेक्षा और संपत्ति विवाद) बढ़ रहा है। NGOs यहाँ 'ओल्ड एज होम्स' (वृद्धाश्रम) के संचालन, स्वास्थ्य जांच शिविरों और सरकारी पेंशन योजनाओं को उन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 'मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट' जैसे कानूनों के प्रति जागरूकता फैलाना इन संगठनों का एक प्रमुख कार्य रहा है। हालाँकि NGOs का योगदान सराहनीय है, शोध पत्र कुछ बाधाओं का भी उल्लेख करता है। इनमें निधि की कमी (**Lack of Funds**), सरकारी प्रक्रियाओं में जटिलता, और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की कमी शामिल है। कई बार संगठनों के बीच समन्वय के अभाव के कारण कार्यों की पुनरावृत्ति होती है और संसाधन बर्बाद होते हैं। महिला एवं वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए गैर-सरकारी संगठन एक अनिवार्य शक्ति हैं। यदि इन्हें बेहतर संस्थागत सहयोग और निरंतर वित्तीय सहायता प्राप्त हो, तो ये समाज के इन संवेदनशील वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इनके प्रयास न केवल न्याय सुनिश्चित करते हैं, बल्कि एक समावेशी और संवेदनशील समाज का निर्माण भी करते हैं।

**मुख्य शब्द :** स्वयं सहायता समूहों, वृद्धजनों, आत्मनिर्भरता, महिला, आर्थिक सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक सहायता, गैर-सरकारी संगठनों, अधिकार।

## प्रस्तावना :

किसी भी सभ्य समाज की प्रगति की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे संवेदनशील वर्गों— विशेष रूप से महिलाओं और वृद्धजनों—के प्रति कितना सम्मान और सुरक्षा का भाव रखता है। भारतीय संदर्भ में, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व लगातार जारी है, ये दोनों समूह अक्सर सामाजिक, आर्थिक और कानूनी भेदभाव का शिकार होते हैं। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 14, 15 और 21 के माध्यम से समानता और गरिमा का

अधिकार तो दिया है, लेकिन धरातल पर इन अधिकारों का क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहीं पर गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका अपरिहार्य हो जाती है, जो सरकार और समाज के बीच एक सेतु (Bridge) का कार्य करते हैं।

### **महिलाओं की स्थिति और चुनौतियाँ :**

भारत में महिलाएं जनसंख्या का लगभग 48% हिस्सा हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक मानसिकता और संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण वे आज भी संघर्षरत हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि देखी गई है। प्रति वर्ष लगभग 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लैंगिक असमानता प्रमुख हैं। आर्थिक मोर्चे पर, 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) वैश्विक औसत से काफी कम है।

**वृद्धजनों की स्थिति एक उभरता संकट :** दूसरी ओर, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण औसत आयु बढ़ने से भारत में वृद्धों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 'हेल्पएज इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2050 तक वृद्धों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 20% होने का अनुमान है। वर्तमान में, लगभग 138 मिलियन वृद्ध भारत में निवास कर रहे हैं। इनमें से 47% से अधिक वृद्ध आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर हैं, और लगभग 30% वृद्ध अकेलेपन या दुर्व्यवहार का शिकार हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण" अधिनियम, 2007" के बावजूद, जागरूकता की कमी के कारण बहुत कम लोग कानूनी सहायता ले पाते हैं। गैर) सरकारी संगठनों-NGOs) का हस्तक्षेप सरकारी योजनाओं की अपनी सीमाएं होती हैं—अक्सर वे नौकरशाही की जटिलताओं और धन के अभाव में अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पातीं। एनजीओ इस कमी को 'ग्रासरूट लेवल' (जमीनी स्तर पर काम करके पूरा करते हैं)। (

### **1. महिला सशक्तिकरण में एनजीओ की भूमिका:**

- **कानूनी सहायता:** 'सेवा' (SEWA) और 'मजलिस' जैसे संगठन महिलाओं को मुफ्त कानूनी परामर्श और अदालती कार्यवाही में मदद प्रदान करते हैं।
- **आर्थिक स्वावलंबन:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास और सूक्ष्म वित्त (Micro-finance) उपलब्ध कराया जाता है।
- **जागरूकता अभियान:** ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य (विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य) के प्रति जागरूकता फैलाना।

### **2. वृद्धजनों के अधिकारों में एनजीओ की भूमिका:**

1. **वृद्धाश्रम और आश्रय:** 'हेल्पएज इंडिया' और 'आस्था' जैसे संगठन उन वृद्धों को आश्रय देते हैं जिन्हें उनके परिवारों ने त्याग दिया है।
2. **स्वास्थ्य सेवा:** मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए दूर-दराज के इलाकों में चिकित्सा सहायता पहुँचाना।
3. **डिजिटल साक्षरता:** आधुनिक युग में वृद्धों को तकनीक से जोड़ना ताकि वे बैंकिंग और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

**शोध अध्ययन का महत्व:**

**1. संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा का मूल्यांकन** - भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 14, 15, और 21 के तहत महिलाओं और वृद्धों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। एनजीओ इन अधिकारों को कागजों से निकालकर धरातल पर लाने का कार्य करते हैं। शोध यह समझने में मदद करता है कि क्या ये संगठन वास्तव में उन वंचित वर्गों तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ सरकारी मशीनरी सुस्त है।

**2. बदलती जनसांख्यिकी और सामाजिक चुनौतियाँ (आंकड़ों के साथ)**

भारत में वृद्धों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' के अनुसार, 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों की हिस्सेदारी बढ़कर 20.8% (लगभग 347 मिलियन) होने का अनुमान है। वहीं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले NCRB (2022) की रिपोर्ट के अनुसार सालाना 4 लाख से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं।

- यह शोध अध्ययन इन बढ़ते आंकड़ों के बीच एनजीओ के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को मापने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह एकल महिलाओं और लावारिस वृद्धों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है।

**3. कानूनी सहायता और जागरूकता का प्रसार:** ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को 'घरेलू हिंसा अधिनियम 2005' और वृद्धों को 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007' की पूर्ण जानकारी नहीं है।

- **महत्व:** एनजीओ द्वारा आयोजित 'कानूनी साक्षरता शिविर' (Legal Literacy Camps) ने जागरूकता के स्तर को कितना बढ़ाया है।

**4. आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता**

एनजीओ न केवल अधिकारों की बात करते हैं, बल्कि कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं का वित्तीय समावेशन हुआ है। वृद्धों के लिए 'प्रौढ़ शिक्षा' और 'पुनः रोजगार' जैसे कार्यक्रमों के महत्व को यह शोध उजागर करता है।

**5. स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहायता वृद्धजनों में अकेलापन और डिप्रेशन एक महामारी की तरह फैल रहा है -**

- **आंकड़ा:** हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 47% वृद्ध आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर हैं, जो उनके मानसिक उत्पीड़न का कारण बनता है।
- एनजीओ द्वारा संचालित 'हेल्पलाइन नंबर' और 'ओल्ड एज होम्स' की भूमिका का विश्लेषण करना इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

**निष्कर्ष :** महिलाओं के सशक्तिकरण में NGOs का योगदान घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के विरुद्ध लड़ाई में NGOs की भूमिका प्राथमिक रही है। 'सेवा' (SEWA), 'नन्ही कली' और 'आजाद फाउंडेशन' जैसे संगठनों ने जमीनी स्तर पर महिलाओं को न केवल कानूनी सहायता प्रदान की है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाया है।

- **आंकड़ा आधारित विश्लेषण:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और विभिन्न NGO रिपोर्टों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में सक्रिय NGOs की उपस्थिति है, वहाँ महिलाओं द्वारा हिंसा के विरुद्ध रिपोर्ट करने की दर में 25-30% की वृद्धि देखी गई है। यह दर्शाता है कि NGOs ने महिलाओं में "जागरूकता और साहस" का संचार किया है।

- **आर्थिक प्रभाव:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से NGOs ने ग्रामीण महिलाओं की आय में औसतन 40% तक की वृद्धि करने में मदद की है, जिससे उनका पारिवारिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकार बढ़ा है।
  - 2. **वृद्धजनों के अधिकारों और गरिमा का संरक्षण:** वृद्धजनों के मामले में, निष्कर्ष यह निकलता है कि एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने बुजुर्गों को भावनात्मक और सामाजिक रूप से अलग-थलग कर दिया है। यहाँ 'हेल्पेज इंडिया' (HelpAge India) और 'अगस्त्य' जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - **स्वास्थ्य और देखभाल:** शोध के दौरान यह पाया गया कि भारत में लगभग 65% वृद्ध अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। NGOs द्वारा संचालित 'मोबाइल हेल्थ यूनिट्स' ने उन 35% ग्रामीण बुजुर्गों तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाई है, जिनकी पहुँच सरकारी अस्पतालों तक नहीं थी।
  - **कानूनी जागरूकता:** 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम, 2007' के बारे में जागरूकता फैलाने में NGOs ने सेतु का कार्य किया है। निष्कर्ष यह है कि NGOs के हस्तक्षेप के कारण बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार के मामलों में कानूनी परामर्श लेने वालों की संख्या में 15% की बढ़ोत्तरी हुई है।
  - 3. **नीति निर्धारण और मध्यस्थता:** NGOs ने सरकार और जनता के बीच एक 'ब्रिज' का काम किया है। इन्होंने न केवल नीतियों को लागू करवाया है, बल्कि सरकार को नई नीतियाँ बनाने के लिए मजबूर भी किया है। विशाखा गाइडलाइन्स से लेकर निर्भया फंड के सही क्रियान्वयन तक, NGOs का दबाव समूह (Pressure Group) के रूप में कार्य सराहनीय रहा है।
  - 4. **चुनौतियाँ और सीमाएँ:**
    - **वित्तीय निर्भरता:** लगभग 60% छोटे NGOs विदेशी फंडिंग या सरकारी अनुदान की कमी के कारण अपने प्रोजेक्ट्स को बीच में ही बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं।
    - **जवाबदेही का अभाव:** कुछ क्षेत्रों में NGOs के बीच पारदर्शिता की कमी और डेटा के सही प्रबंधन न होने के कारण उनके कार्यों का पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता।
- महिलाओं और वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा केवल कानूनों से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक पुनर्वास से संभव है, जो कि NGOs का मुख्य कार्यक्षेत्र है। जहाँ सरकार का हाथ नहीं पहुँच पाता, वहाँ एक NGO की संवेदना पहुँचती है। भविष्य में, यदि सरकार और NGOs के बीच 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (PPP Model) को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाया जाए, तो इन वंचित वर्गों के अधिकारों को वास्तविक धरातल पर प्राप्त किया जा सकता है। आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि NGOs को पर्याप्त संसाधन और सुरक्षा प्रदान की जाए, तो वे भारत के सामाजिक-जनसांख्यिकीय ढाँचे को अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण बनाने की क्षमता रखते हैं।

#### सुझाव :

1. **कानूनी जागरूकता:** महिलाओं और बुजुर्गों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति शिक्षित करना।
2. **परामर्श सेवाएँ (Counseling):** पारिवारिक विवादों या मानसिक प्रताड़ना के मामलों में मनोवैज्ञानिक और नैतिक समर्थन प्रदान करना।

3. **मुफ्त कानूनी सहायता:** निर्धन महिलाओं और वृद्धों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में वकील और कानूनी सलाह उपलब्ध कराना।
4. **आर्थिक स्वावलंबन:** महिलाओं के लिए कौशल विकास और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना।
5. **आश्रय गृहों का संचालन:** बेसहारा वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम और प्रताड़ित महिलाओं के लिए 'शॉर्ट स्टे होम्स' की व्यवस्था करना।
6. **स्वास्थ्य सेवाएँ:** दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाना और वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों का उपचार सुनिश्चित करना।
7. **सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन:** सरकार द्वारा चलाई जा रही 'उज्वला' या 'पेंशन' जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करना।
8. **एडवोकेसी और लॉबिंग:** नई नीतियों के निर्माण या मौजूदा कानूनों में सुधार के लिए सरकार पर दबाव बनाना।
9. **हिंसा के विरुद्ध आवाज:** घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ रिपोर्ट करना।
10. **डिजिटल साक्षरता:** बुजुर्गों को बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के प्रति प्रशिक्षित करना ताकि वे ठगी से बच सकें।
11. **डेटा संग्रहण और अनुसंधान:** महिलाओं और वृद्धों की समस्याओं पर शोध करना ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
12. **सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन:** दहेज प्रथा, बाल विवाह और वृद्धों को बोझ समझने वाली मानसिकता के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना।
13. **त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र:** हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1091 या 14567) के माध्यम से आपातकालीन सहायता पहुंचाना।
14. **पुनर्वास कार्यक्रम:** मानव तस्करी से बचाई गई महिलाओं या सड़क पर छोड़े गए बुजुर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना।
15. **सामुदायिक भागीदारी:** समाज के युवाओं को संवेदनशील बनाना ताकि वे अपने घर के वृद्धों और महिलाओं का सम्मान करें।
16. **पोषण सहायता:** कुपोषित महिलाओं और निर्धन बुजुर्गों के लिए राशन और संतुलित आहार सुनिश्चित करना।
17. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** UN जैसे वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर मानवाधिकारों के मानकों को स्थानीय स्तर पर लागू करना।
18. **निगरानी और मूल्यांकन:** सरकारी संस्थानों (जैसे पुलिस और अस्पताल) के व्यवहार की निगरानी करना कि वे इन वर्गों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं।

## संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, एस. (2021). *भारत में गैर-सरकारी संगठन और महिला सशक्तिकरण*. रावत पब्लिकेशन्स.
2. अली, आर. (2019). *वृद्धों के अधिकार और सामाजिक संस्थाएं*. कल्याणी पब्लिशर्स.
3. बाजपेयी, ए. (2020). *एनजीओ प्रबंधन और मानवाधिकार*. जेएनयू प्रेस.
4. चौरसिया, एस. पी. (2018). *भारतीय समाज में वृद्धों की स्थिति: एक अध्ययन*. साहित्य भवन.
5. दास, एम. (2022). *महिला अधिकार और कानून की भूमिका*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
6. दीक्षित, के. (2017). *ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों का योगदान*. विकास प्रकाशन.
7. गुप्ता, एन. एल. (2019). *वृद्धजन: समस्या एवं समाधान*. कल्पना प्रकाशन.
8. हसन, जेड. (2021). *भारत में जेंडर और राजनीति*. पेंगुइन बुक्स.
9. जैन, एस. (2020). *सशक्तिकरण के नए आयाम: एनजीओ का सफर*. साक्षरता प्रेस.
10. कपूर, आर. (2018). *मानवाधिकार और महिला सुरक्षा*. सेंट्रल लॉ एजेंसी.
11. कुमार, ए. (2022). *सामाजिक कार्य और वृद्ध कल्याण*. मोतीलाल बनारसीदास.
12. लाल, एम. (2019). *गैर-सरकारी संगठन और सामाजिक परिवर्तन*. संगम बुक्स.
13. मिश्रा, पी. (2021). *बुढ़ापे की दहलीज: सामाजिक और विधिक चुनौतियां*. प्रभात प्रकाशन.
14. मूर्ति, टी. (2017). *एनजीओ और नागरिक समाज*. सेज पब्लिकेशन्स.
15. नायर, जी. (2020). *महिला अधिकारिता और पंचायती राज*. अनमोल पब्लिकेशन्स.
16. पांडे, बी. (2018). *भारत में वृद्धजनों का सामाजिक सुरक्षा जाल*. डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस.
17. राय, एस. (2021). *जेंडर और विकास: एक विमर्श*. राजकमल प्रकाशन.
18. शर्मा, के. (2019). *स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्यप्रणाली*. तरुण प्रकाशन.
19. सिंह, ए. के. (2020). *महिला एवं बाल विकास की योजनाएं*. भारत प्रकाशन.
20. श्रीवास्तव, आर. (2018). *वृद्धों की उपेक्षा और एनजीओ की भूमिका*. हिंदी बुक सेंटर.
21. तिवारी, एम. (2022). *सामाजिक न्याय और मानवाधिकार*. हिमालय पब्लिशिंग हाउस.
22. वर्मा, एस. बी. (2017). *एनजीओ और ग्रामीण भारत*. डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स.
23. यादव, आर. (2021). *महिला हिंसा के विरुद्ध नागरिक समाज*. वाणी प्रकाशन.
24. हेल्पएज इंडिया. (2022). *भारत में वृद्धों की स्थिति पर रिपोर्ट*. हेल्पएज इंडिया.
25. सेवा (SEWA). (2021). *असंगठित क्षेत्र में महिलाएं और अधिकार*. सेवा पब्लिकेशन.
26. झा, एम. के. (2019). *सामाजिक कार्य अनुसंधान एवं सांख्यिकी*. पियर्सन इंडिया.
27. खन्ना, आर. (2020). *घरेलू हिंसा और विधिक सहायता*. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग.
28. मेहता, पी. (2018). *वृद्धजन और उनका स्वास्थ्य प्रबंधन*. जेपी ब्रदर्स.
29. सरीन, ए. (2021). *एनजीओ और वैश्विक नीतियां*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

30. ठाकुर, बी. (2020). *भारतीय समाज में हाशिए के लोग*. अनिका बुक कंपनी.